

मु0अ0सं0-1/2023 धारा-07 भ्र0निवा0अधि0 1988(संशोधित अधि0 2018) बनाम मोनिका गोयल

मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि  
प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना-सतर्कता सैक्टर देहरादून

सब डिस्ट्रिक्ट—देहरादून

संख्या—1/2023

घटना का दिनांक व समय- 18/01/2023

समय—18:30

दिनांक समय, जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिनांक
19/01/2023 03:45	पशु चिकित्साधिकारी कक्ष राजकीय पशु चिकित्सालय नौगाँव उत्तरकाशी जनपद उत्तरकाशी दूरी लगभग 120 कि0मी0 दिशा उत्तर	द्वारा विशेष वाहक

नोट: प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर एवं अंगूठे का चिन्ह लेने चाहिए और इसकी पुष्टि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिए।

सूचना देने वाले वादी का नाम व स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास - स्थान	धारा सहित अपराध वाले जायी गयी सम्पत्ति (यदि कोई हो का संक्षिप्त विवरण)	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमे का परिणाम
निरी0 श्रीमती विभा वर्मा सतर्कता अधिष्ठान देहरादून।	डा0 मोनिका गोयल D/O डा0 राजीव गोयल पशु चिकित्साधिकारी रा0पशु0 चिकित्सालय नौगाँव उत्तरकाशी। हाल सरकारी आवास ब्लाक परिसर नौगाँव जनपद उत्तरकाशी। मूल पता- गोयल अस्पताल निकट नेहरू पार्क मुरैना त0/जनपद मुरैना जनपद मुरैना मध्य प्रदेश।	आरोपी द्वारा सरकारी कार्य करने के एवज में शिकायतकर्ता श्री रोबिन से 8,000/- रुपये रिश्तत ग्रहण करते हुए गिरफ्तार होना जुर्म धारा 7 भ्र0नि0अधि0 1988 (संशोधित अधि0 2018)	सूचना पर तत्काल मुकदमा तपतीशी कायम व दर्ज किया गया। तपतीश आदेशानुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक सतर्कता सैक्टर देहरादून महोदय के निरी0 श्री गणेश कुटियाल द्वारा की जायेगी।	तपतीश होकर

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर-----एस0डी0

पद-----

Suptt.of Police  
VigilenceEstt.  
Dehradun Sector,  
Uttarakhand

नोट सूचना देने वाले या हस्ताक्षर का निशानी अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगवाना चाहिए।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 21/पुलिस/514-17-12-2005-10,000 पुस्तके(कम्प्यूटर/आफसेट)

मु0अ0सं0-3/23 धारा-7 भ्र0नि0अधि0 1988(संशोधित अधि0 2018) बनाम इन्द्रजीत सिंह राणा

मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि  
प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना-सतर्कता सैक्टर देहरादून

सब डिस्ट्रिक्ट—देहरादून

संख्या—3/23

घटना का दिनांक व समय- 16/04/23

समय—21:31

दिनांक समय, जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिनांक
17.04.23 05:05	कोतवाली ज्वालापुर आवासीय परिसर जनपद हरिद्वार दूरी करीब 68 km दक्षिण	द्वारा विशेष वाहक

नोट: प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर एवं अंगूठे का चिन्ह लेने चाहिए और इसकी पुष्टि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिए।

सूचना देने वाले वादी का नाम व स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास—स्थान	धारा सहित अपराध वाले जायी गयी सम्पत्ति (यदि कोई हो का संक्षिप्त विवरण)	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमे का परिणाम
निरीक्षक मनोज रावत, सतर्कता अधिष्ठान देहरादून।	इन्द्रजीत सिंह राणा S/O श्री अमर सिंह राणा, आवास 632 A टाईप-2 सैक्टर 4 BHEL क्वार्टर थाना रानीपुर जनपद हरिद्वार वर्तमान पता-SI थाना कोतवाली ज्वालापुर जनपद हरिद्वार।	अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता से सरकारी कार्य करने के एवज में 20,000/- ₹0उत्कोच धन की मांग करना तथा उत्कोच लेते हुये रंगे हाथ गिरफ्तार होना जुर्म धारा 7 भ्र0नि0अधि0	श्रीमान जी सूचना पर तुरन्त मुकदमा तपत्तीशी कायम किया गया। विवेचना निरी0 श्रीमति नूतन पंवार के द्वारा की जायेगी।	तपत्तीश होकर

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर-----एस0डी0

पद-----

Suptt.of Police  
VigilenceEstt.  
Dehradun Sector,  
Uttarakhand

नोट सूचना देने वाले या हस्ताक्षर का निशानी अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगवाना चाहिए।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 21/पुलिस/514-17-12-2005-10,000 पुस्तके(कम्प्यूटर/आफसेट)

मु0अ0सं0-4/23 धारा-7 भ्र0नि0अधि0 1988(संशोधित अधि0 2018) बनाम राजेन्द्र सिंह चौहान

मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि

प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना-सतर्कता सैक्टर देहरादून

सब डिस्ट्रिक्ट—देहरादून

संख्या—4/2023

घटना का दिनांक व समय- 17/04/23

समय—15:37

दिनांक समय, जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिनांक
17.4.23 22:15	चकबंदी अधिकारी चतुर्थ रुड़की तहसील रुड़की न्यायालय/ कार्यालय तहसील परिसर रुड़की जनपद हरिद्वार दिशा दक्षिण दूरी लगभग 85 kml	द्वारा विशेष वाहक

नोट: प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर एवं अंगूठे का चिन्ह लेने चाहिए और इसकी पुष्टि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिए।

सूचना देने वाले वादी का नाम व स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास - स्थान	धारा सहित अपराध वाले जायी गयी सम्पत्ति (यदि कोई हो का संक्षिप्त विवरण)	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमे का परिणाम
निरी0 पंकज पोखरियाल सतर्कता अधिष्ठान देहरादून।	राजेन्द्र सिंह चौहान s/o स्वर्गीय गुलाब सिंह कनिष्ठ लिपिक/हाल सहायक (पेशकार)चकबंदी अधिकारी चतुर्थ रुड़की तहसील रुड़की हरिद्वार। हाल पता ,कृष्णा नगर 16 -0गली नं - मूल , रुड़की जनपद हरिद्वार , गंगनहर ग्राम संहिसा तहसील चकराता -पता जिला देहरादून।	अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता से सरकारी कार्य करने के एवज में रु0 10,000/- की मांग करना व उत्कोच लेते हुये रंग हाथ गिरफ्तार होना जुर्म धारा उपरोक्त	सूचना पर मुकदमा तपतीशी कायम व दर्ज किया गया। तपतीशी श्रीमान पुलिस अधीक्षक सतर्कता के अनुसार निरीक्षक श्री पवन कुमार द्वारा की जायेगी।	तपतीशी होकर

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर-----एस0डी0

पद-----

Suptt.of Police  
VigilenceEstt.  
Dehradun Sector,  
Uttarakhand

नोट सूचना देने वाले या हस्ताक्षर का निशानी अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगवाना चाहिए।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 21/पुलिस/514-17-12-2005-10,000 पुस्तके(कम्प्यूटर/आफसेट)

मु0अ0सं0-5/23 धारा-7 अं0नि0अधि0 1988(संशोधित अधि0 2018) बनाम ओमप्रकाश यादव

मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि

प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना-सतर्कता सैक्टर देहरादून

सब डिस्ट्रिक्ट—देहरादून

संख्या—5/23

घटना का दिनांक - 24/4/23

समय—17:20

दिनांक समय, जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिनांक
24.4.23 20:20	सर्वे नायाब तहसीलदार कार्यालय पंचायत भवन विकास नगर जनपद देहरादून दिशा जानिव उत्तर दूरी करीब 42 km.	डाक द्वारा विशेष वाहक

नोट: प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर एवं अंगूठे का चिन्ह लेने चाहिए और इसकी पुष्टि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिए।

सूचना देने वाले वादी का नाम व स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास - स्थान	धारा सहित अपराध वाले जायी गयी सम्पत्ति (यदि कोई हो का संक्षिप्त विवरण)	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमे का परिणाम
निरी0 श्री मनोज रावत, सतर्कता सैक्टर देहरादून।	श्री ओमप्रकाश यादव पुत्र स्व 0,50 0न0हाल म ,बृजलाल यादव टाईप,राजस्व कालोनी केदारपुरम ,2- ,हाल सर्वे लेखपाल -देहरादून पंचायत ,तहसीलदार कार्यालय नायब भवन विकास नगर। मूल पता- ग्राम कौसंड पो0 जेमादेई तहसील सलेमपुर जिला देवरिया-उ0प्र0।	अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता से सरकारी कार्य करने के एवज में रु0 10,000/- की मांग करना व उल्कोच लेते रंगे हाथ गिरफ्तार होना जुर्म धारा उपरोक्त	सूचना पर मुकदमा तपतीशी कायम किया गया। तपतीश श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार निरी0 श्रीमती किरन असवाल द्वारा की जायेगी।	तपतीश होकर

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर-----एस0डी0

पद-----

Suptt.of Police  
VigilenceEstt.  
Dehradun Sector,  
Uttarakhand

नोट सूचना देने वाले या हस्ताक्षर का निशानी अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगवाना चाहिए।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 21/पुलिस/514-17-12-2005-10,000 पुस्तके(कम्प्यूटर/आफसेट)

मु0अ0सं0-6/23 धारा-7 भ्र0नि0अधि0 1988(संशोधित अधि0 2018) बनाम विरेन्द्र कुमार

मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि  
प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना-सतर्कता सैक्टर देहरादून

सब डिस्ट्रिक्ट-देहरादून

संख्या-6/23

घटना का दिनांक- 11/5/23

समय-16:15

दिनांक समय, जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिनांक
11/5/23 20:50	अभियुक्त के घर चाऊमण्डी के पास बने टिन सैड में जनपद हरिद्वार दिशा दक्षिण दूरी करीब 85km.	विशेष वाहक द्वारा

नोट: प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर एवं अंगूठे का चिन्ह लेने चाहिए और इसकी पुष्टि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिए।

सूचना देने वाले वादी का नाम व स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास-स्थान	धारा सहित अपराध वाले जायी गयी सम्पत्ति (यदि कोई हो का संक्षिप्त विवरण)	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमे का परिणाम
निरी0 श्री पंकज पोखरियाल सतर्कता सैक्टर दे0दून।	विरेन्द्र कुमार S/O गंगा दास प्रेमी निवासी चाऊमण्डी रुड़की हरिद्वार हाल पटवारी तहसील रुड़की जनपद हरिद्वार।	अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता से सरकारी कार्य करने की एवज में रु0 50,000/- की मांग करना तथा उत्कोच लेते गिरफ्तार (रंगे हाथों) होना जुर्म धारा उपरोक्त	सूचना पर मुकदमा तपतीशी कायम किया गया। तपतीश श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार निरी0 श्री गणेश सिंह कुटियाल द्वारा की जायेगी।	तपतीश होकर

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर-----एस0डी0

पद-----

Suptt.of Police  
VigilenceEstt.  
Dehradun Sector,  
Uttarakhand

नोट सूचना देने वाले या हस्ताक्षर का निशानी अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगवाना चाहिए।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 21/पुलिस/514-17-12-2005-10,000 पुस्तके(कम्प्यूटर/आफसेट)

मु0अ0सं0-7/23 धारा-7 भ्र0नि0अधि0 1988(संशोधित अधि0 2018) बनाम संदीप कुमार

मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि  
प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना-सतर्कता सैक्टर देहरादून

सब डिस्ट्रिक्ट—देहरादून

संख्या—7/23

घटना का दिनांक-22/9/23

समय—19:30

दिनांक समय, जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिनांक
22/9/23 23:30	जिला सहकारी बैंक, मरगूबपुर, बहादुराबाद हरिद्वार दिशा दक्षिण दूरी करीब 85km.	विशेष वाहक द्वारा

नोट: प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर एवं अंगूठे का चिन्ह लेने चाहिए और इसकी पुष्टि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिए।

सूचना देने वाले वादी का नाम व स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास—स्थान	धारा सहित अपराध वाले जायी गयी सम्पत्ति (यदि कोई हो का संक्षिप्त विवरण)	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमे का परिणाम
निरी० श्रीमती ज्योति चौहान सतर्कता सैक्टर दे०दून।	संदीप कुमार S/O श्री जल सिंह निवासी ग्राम सडौली पोस्ट व थाना झबरेडा हरिद्वार हाल जूनियर मैनेजर जिला सहकारी बैंक मरगूबपुर, बहादुराबाद, हरिद्वार	अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता से सरकारी कार्य करने की एवज में 4,000/- रु० की मांग करना तथा उत्कोच ग्रहण करते रंगे हाथों गिरफ्तारहोना जर्म धारा उपरोक्त	सूचना पर मुकदमा तपतीशी कायम किया गया। तपतीश श्रीमान SP महोदय के आदेशानुसार निरी० श्री पंकज पोखरियाल करेंगे।	तपतीश होकर

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर-----एस०डी०

पद-----

Suptt.of Police  
VigilenceEstt.  
Dehradun Sector,  
Uttarakhand

नोट सूचना देने वाले या हस्ताक्षर का निशानी अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगवाना चाहिए।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 21/पुलिस/514-17-12-2005-10,000 पुस्तके(कम्प्यूटर/आफसेट)

बनाम धनेश कुमार शर्मा  
मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि  
प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना- सतर्कता अधिष्ठान सैक्टर नैनीताल हल्द्वानी

सब- डिस्ट्रिक्ट- नैनताल

संख्या- 01/2023

घटना का दिनांक- 23.01.2023

समय- 10.45 बजे

दिनांक व समय जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेज जाने का दिनांक
24.01.2023 02.20	घटना स्थल- उपजिलाधिकारी आवासीय परिसर स्थित कक्ष जिसे कार्यालय के रूप में -----करने बाबत आरोपी द्वारा बताया गया। तह0 किच्छा थाने से दूरी लगभग 38 कि0मी0 दिशा जानिब दक्षिण	डाक से

नोट:- प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लेना चाहिये और इसकी पुष्टि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होना चाहिए।

1	2	3	4	5
सूचना देने वाले वादी का नाम व स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास-स्थान	धारा सहित अपराध वाले जायी गयी सम्पत्ति (यदि कोई हो का संक्षिप्त विवरण)	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमे का परिणाम
निरीक्षक मनोहर सिंह दसौनी सतर्कता अधिष्ठान सैक्टर नैनीताल (हल्द्वानी)	अभि0 धनेश कुमार शर्मा पुत्र श्री राम कुमार शर्मा मूल निवासी ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर थाना लक्सर जनपद हरिद्वार सी-225/14 सुभाषनगर रूड़की हरिद्वार हाल राजस्व .....तहसील किच्छा जनपद ऊधमसिंहनगर	अभि0 उपरोक्त द्वारा शिकायतकर्ता श्री मदन सिंह नेगी से खेत की पैमाईश (नपाई) कराने की एवज में रिश्तत की मांग करना तथा मौके पर 5000/- रुपये की उत्कोच के साथ पकड़ा जाना जुर्म धारा 07 भ्र0नि0अधि0 1988 (संशोधित 2018) की हद को पहुंचता है।	दाखिल फर्द के आधार पर थाना हाजा में मुकदमा तफतीशी पंजीकृत किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार तफतीश निरीक्षक हेम चन्द्र पाण्डेय के सुपुर्द की गई।	तफतीश होकर

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर.....एस0डी0.....

पद.....

पुलिस अधीक्षक,  
सतर्कता अधिष्ठान उत्तराखण्ड,  
नैनीताल सैक्टर हल्द्वानी।

नोट सूचना देने वाले या हस्ताक्षर का निशानी अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगवाना चाहिए।

बनाम श्रीमती कविता  
मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि  
प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना- सतर्कता अधिष्ठान सैक्टर नैनीताल हल्द्वानी

सब- डिस्ट्रिक्ट- नैनताल

संख्या- 02/2023

घटना का दिनांक- 23.03.2023

समय- 02.50 बजे

दिनांक व समय जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेज जाने का दिनांक
23.03.2023 18.12	ग्राम पंचायत गिरधर नगर तहसील गदरपुर जनपद ऊधमसिंहनगर अभियुक्ता का घर थाने से दूरी लगभग 50कि0मी0 दिशा जानिब पश्चिम-दक्षिण	डाक से

नोट:- प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लेना चाहिये और इसकी पुष्टि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होना चाहिए।

1	2	3	4	5
सूचना देने वाले वादी का नाम व स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास-स्थान	धारा सहित अपराध वाले जायी गयी सम्पत्ति (यदि कोई हो का संक्षिप्त विवरण)	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमे का परिणाम
निरीक्षक हेम चन्द्र पाण्डेय सतर्कता अधिष्ठान सैक्टर नैनीताल (हल्द्वानी)	अभियुक्ता श्रीमती कविता पत्नी श्री जगदीश गुम्बर निवासी ग्राम गोपालनगर तहसील गदरपुर जिला ऊधमसिंहनगर (ग्राम प्रधान)	अभियुक्ता उपरोक्त द्वारा शिकायतकर्ता श्री कोशल कुमार आदि से स्वच्छ भारत योजना के अन्तर्गत शौचालय के फार्म पर हस्ताक्षर करने की एवज में रिश्वत की मांग करना तथा मौके पर 6000/- रूपये उत्कोच के साथ पकड़ा जाना व जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधि0 (संशोधित 2018) की हद को पहुचाता है।	दाखिल फर्द के आधार पर थाना हाजा में मुकदमा तफतीशी पंजीकृत किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार तफतीश निरीक्षक हेमा गुणवन्त के सुपुर्द की गई।	तफतीश होकर

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर.....एस0डी0.....

पद.....

पुलिस अधीक्षक,  
सतर्कता अधिष्ठान उत्तराखण्ड,  
नैनीताल सैक्टर हल्द्वानी।

नोट सूचना देने वाले या हस्ताक्षर का निशानी अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगवाना चाहिए।



बनाम बनाम अनिल जोशी व डा0 तपन कुमार शर्मा

मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि

प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना- सतर्कता अधिष्ठान सैक्टर नैनीताल हल्द्वानी

सब- डिस्ट्रिक्ट- नैनताल

संख्या- 03/2023

घटना का दिनांक- 08.05.2023

समय- 18.00 बजे

दिनांक व समय जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेज जाने का दिनांक
08.05.2023 22.47		डाक से

नोट:- प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लेना चाहिये और इसकी पुष्टि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होना चाहिए।

1	2	3	4	5
सूचना देने वाले वादी का नाम व स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास-स्थान	धारा सहित अपराध वाले जायी गयी सम्पत्ति (यदि कोई हो का संक्षिप्त विवरण)	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमे का परिणाम
निरीक्षक हेम चन्द्र पाण्डेय सतर्कता अधिष्ठान सैक्टर नैनीताल (हल्द्वानी)	अभि0(1)अनिल जोशी पुत्र श्री शेखर चन्द्र जोशी निवासी हन्दूचौड़ थाना लालकुआ जिला नैनीताल हाल लेखाकार (संविदा) क्षय रोग विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पुराना अस्पताल रूद्रपुर ऊधमसिंहनगर (2) डा0 तपन कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री आर0 कुमार शर्मा निवासी मो0 पक्का कटरा कोतवाली आंवला जनपद बरेली हाल अपर मुख्य चिकित्साधिकारी रूद्रपुर।	अभि0 उपरोक्त द्वारा शिकायतकर्ता राजेन्द्र सिंह मेहता से -----प्रचार प्रसार हेतु नुक्कर नाटक प्रोग्राम के पैं की एवज में रिश्तत की मांग करना तथा मौके पर 16000/- रूपये उत्कोच के साथ पकड़ा जाना व जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधि0 (संशोधित 2018) की हद को पहुचाता है।	दाखिल फर्द के आधार पर थाना हाजा में मुकदमा तपतीशी पंजीकृत किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार तपतीश निरीक्षक भानु प्रकाश आर्य के सुपर्द की गई।	तपतीश होकर

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर.....एस0डी0.....

पद.....

पुलिस अधीक्षक,

सतर्कता अधिष्ठान उत्तराखण्ड,

नैनीताल सैक्टर हल्द्वानी।

नोट सूचना देने वाले या हस्ताक्षर का निशानी अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगवाना चाहिए।

मू0अ0सं0 04/2023 धारा 13(1)(ई) भ्र0नि0अधि0 1988, 13(1)(बी) भ्र0नि0अधि0 1988 (संशोधित 2018),

13(2) भ्र0नि0अधि0 1988 बनाम रजनीश कुमार पाण्डेय

मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि

प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना- सतर्कता अधिष्ठान सैक्टर नैनीताल हल्द्वानी

सब- डिस्ट्रिक्ट- नैनताल

संख्या- 04/2023

घटना का दिनांक- अदम तहरीर

समय-

दिनांक व समय जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेज जाने का दिनांक
01.08.2023 10.32	अदम तहरीर	डाक से

नोट:- प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लेना चाहिये और इसकी पुष्टि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होना चाहिए।

1	2	3	4	5
सूचना देने वाले वादी का नाम व स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास-स्थान	धारा सहित अपराध वाले जायी गयी सम्पत्ति (यदि कोई हो का संक्षिप्त विवरण)	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमे का परिणाम
निरीक्षक भानु प्रकाश आर्य सतर्कता अधिष्ठान सैक्टर नैनीताल (हल्द्वानी)	रजनीश कुमार पाण्डेय वरिष्ठ (भण्डारक) पुत्र स्व० श्री नन्द किशोर पाण्डेय निवासी झों कॉलोनी पन्तनगर तहसील किच्छा जिला ऊधमसिंहनगर	रजनीश कुमार पाण्डेय उपरोक्त द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करना अपराध धारा 13(1)(ई) भ्र0नि0अधि0 1988, 13(1)(बी) भ्र0नि0अधि0 1988 (संशोधित 2018), 13(2) भ्र0नि0अधि0 1988 की हद को पहुँचाता है।	वादि उपरोक्त की तहरीर के आधार पर थाना हाजा में अभियोग तफ्तीशी कायम किया गया श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार तफ्तीश निरीक्षक ललिता पाण्डेय के सुपुर्द की गई।	तफ्तीश होकर

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर.....एस0डी0.....

पद.....

पुलिस अधीक्षक,

सतर्कता अधिष्ठान उत्तराखण्ड,

नैनीताल सैक्टर हल्द्वानी।

नोट सूचना देने वाले या हस्ताक्षर का निशानी अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगवाना चाहिए।

बनाम रमेश चन्द्र त्रिपाठी  
मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि  
प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना- सतर्कता अधिष्ठान सैक्टर नैनीताल हल्द्वानी

सब- डिस्ट्रिक्ट- नैनताल

संख्या- 05/2023

घटना का दिनांक- 24.08.2023

समय- 19.40 बजे

दिनांक व समय जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेज जाने का दिनांक
25.08.2023 04.18	मैट्रो पालिस मॉल/बिग बाजार मॉल के सामने पार्किंग (रूद्रपुर ऊधमसिंहनगर) थाना हाजा से दूरी लगभग 30कि0मी0 दिशा जानिब दक्षिण	डाक से

नोट:- प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लेना चाहिये और इसकी पुष्टि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होना चाहिए।

1	2	3	4	5
सूचना देने वाले वादी का नाम व स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास-स्थान	धारा सहित अपराध वाले जायी गयी सम्पत्ति (यदि कोई हो का संक्षिप्त विवरण)	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमे का परिणाम
निरीक्षक ललिता पाण्डेय सतर्कता अधिष्ठान सैक्टर नैनीताल (हल्द्वानी)	अभि0 रमेश चन्द्र त्रिपाठी पुत्र गंगा प्रसाद त्रिपाठी हाल तैनाती जिला पंचायत राज अधिकारी जनपद ऊधमसिंहनगर हाल निवासी आफिसर कालोनी म0नं0 05 निकट विकास भवन रूद्रपुर ऊधमसिंहनगर।	अभि0 उपरोक्त द्वारा शिकायतकर्ता श्री रिकू कुमार से जिला पंचायत में किये गये कार्यों की पेमेंट करने के बदले रिश्त की मांग करना तथा मौके पर 1,00,000 /- रूपये उत्कोच के साथ पकड़ा जाना व जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधि0 (संशोधित 2018) की हद को पहुचाता है।	दाखिल फर्द के आधार पर थाना हाजा में अभियोग तपतीशी पंजीकृत किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार तपतीश निरीक्षक हेमा गुणवन्त के सुपुर्द की गई।	तपतीश होकर

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर.....एस0डी0.....

पद.....

पुलिस अधीक्षक,  
सतर्कता अधिष्ठान उत्तराखण्ड,  
नैनीताल सैक्टर हल्द्वानी।

नोट सूचना देने वाले या हस्ताक्षर का निशानी अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगवाना चाहिए

बनाम दीपक मेहता एवं उमेश सिंह बिष्ट

मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि

प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना- सतर्कता अधिष्ठान सैक्टर नैनीताल हल्द्वानी

सब- डिस्ट्रिक्ट- नैनताल

संख्या- 06/2023

घटना का दिनांक- 05.09.2023

समय-16.00, 18.30 बजे

दिनांक व समय जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेज जाने का दिनांक
05.09.2023 23.30	राज्य कर अधिकारी कार्यालय नैनीताल थाना हाजा से दूरी लगभग 44कि0मी0 दिशा जानिब उत्तर पूरब	डाक से

नोट:- प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लेना चाहिये और इसकी पुष्टि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होना चाहिए।

1	2	3	4	5
सूचना देने वाले वादी का नाम व स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास-स्थान	धारा सहित अपराध वाले जायी गयी सम्पत्ति (यदि कोई हो का संक्षिप्त विवरण)	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमे का परिणाम
निरीक्षक भानू प्रकाश आर्य सतर्कता अधिष्ठान सैक्टर नैनीताल (हल्द्वानी)	(1)दीपक मेहता पुत्र आनन्द सिंह मेहता निवासी ग्राम गरगढी तल्ली पो0 झड़गॉव ब्लाक ओखलकाण्डा जिला नैनीताल हाल अनुपक्ष विहार निकट सरस्वती अकादमी ब्लाक थाना मुखानी नैनीताल। (2)उमेश सिंह बिष्ट पुत्र नैन सिंह बिष्ट निवासी कृष्णा कॉलोनी गली नं0 ऊंचापुल हल्द्वानी नैनीताल।	अभियुक्तों द्वारा शिकायतकर्ता मनोज जोशी जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन कराये जाने हेतु रिश्त की मांग करना तथा मौके पर 3,000/- रुपये उत्कोच के साथ पकड़ा जाना व जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधि0 (संशोधित 2018) की हद को पहुचाता है।	दाखिल फर्द के आधार पर थाना हाजा में अभियोग तफ्तीशी पंजीकृत किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार तफ्तीश निरीक्षक हेम चन्द्र पाण्डे के सुपुर्द की गई।	तफ्तीश होकर

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर.....एस0डी0.....

पद.....

पुलिस अधीक्षक,

सतर्कता अधिष्ठान उत्तराखण्ड,

नैनीताल सैक्टर हल्द्वानी।

नोट सूचना देने वाले या हस्ताक्षर का निशानी अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगवाना चाहिए।